राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय संख्या–10

उपस्थितः 1. माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्या0)।
2. माननीय श्री सुखलाल भारती, सदस्य (प्रशा0)।

याचिका संख्याः 1546 / 2026

राम नरेश, आयु लगभग 61 वर्ष, पुत्र श्री तेजा, निवासी–ग्राम–चकलालबीबी, पोस्ट–कपिल कलां, बिंदकी, जनपद–फतेहपुर।

.... याची।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 सरकार, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, पेंशन, झॉसी मण्डल, झॉसी।
4. जिलाधिकारी, जनपद–ललितपुर।
5. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जनपद–ललितपुर।

... विपक्षीगण।

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0एन0 गोस्वामी।
विपक्षीगण की ओर से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

निर्णय

माननीय श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी, सदस्य (न्या0) द्वारा श्रुतलेखित।

पक्षकार उपस्थित आये। याची पक्ष से प्रत्यावेदन दिनांकित 26.05.2026 (संलग्नक–9) जोकि चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, सातवॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को दिया गया है को समयबद्ध तरीके से तय कराने की प्रार्थना की गयी। विपक्षी पक्ष से कोई एतराज नहीं किया गया। प्रार्थना स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या–2 को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के 04 माह के अन्दर याची का प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.05.2026 को नियमानुसार विधिपूर्वक सकारण एवं मुखर आदेश से तय करें। अधिकरण द्वारा यह आदेश किसी प्रकार से **तथ्यों के गुण–दोष एवं मियाद**

बिंदु (Limitation) पर न जाकर पारित किया जा रहा है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विपक्षी याची के प्रत्यावेदन पर **गुण दोष व मियाद के बिन्दु** पर अपनी फाइन्डिंग देने हेतु स्वतंत्र है। तद्नुसार याचिका अंगीकरण के स्तर पर निस्तारित की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0 / –	ह0 / –
(सुखलाल भारती)	(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (प्रशा0)	सदस्य (न्यायिक)।

निर्णय आज खुले न्यायालय में श्रुतलेखित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

ह0 / –	ह0 / –
(सुखलाल भारती)	(रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी)
सदस्य (प्रशा0)	सदस्य (न्यायिक)।

दिनांकः 18 अगस्त, 2026
एम0ए0 / पी0एस0